राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.6) विभाग

क्रमांकः प. 9 (1) प्र.सु./अनु.6/09 जयपुर, दिनांक 14.5.09

परिपत्र

सचिवालय नियमावली के अनुच्छेद–9 में उप शासन सचिव एवं ग्रुप अधिकारियों के निरीक्षण के संबंध में निम्न प्रावधान हैः–

1. शासन उप सचिवः– प्रत्येक तिमाही में एक बार मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसंबर में।

2. ग्रुप अधिकारीः– हर माह अपने अनुभाग का निरीक्षण करेंगे तथा लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर प्रतिवेदन संबंधित शासन सचिव को प्रस्तुत करेंगे एवं उसकी एक प्रति प्रशासनिक सुधार (अनु.6) विभाग को भिजवायेंगे।

प्रायः यह देखने में आया है कि इन निर्देशों की पालना शासन उप सचिव व ग्रुप अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है जो उचित नही है। सरकारी कार्यक्रमों एवं प्रकरणों में प्रभावी निस्तारण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का अपने अधिनस्थ विभाग/अनुभाग का समय–समय पर निरीक्षण करना आवश्यक है ताकि कार्य व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए आवश्यक निर्देश अपने कनिष्ट अधिकारी/कर्मचारी को दिये जा सके, कार्य संचालन तत्परता उचित रूप से सम्पादित हो सके।

अतः सभी संबंधित अधिकारीगण का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुऐ लेख है कि प्रत्येक स्तर पर निरीक्षण कर रिर्पोट प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवायें। निरीक्षण के दौरान जहां कमियां हैं वहां उस बिन्दु को आवश्यक उल्लेखित करते हुए सुधार के संबंध में अपनी टिप्पणी अंकित करें ताकि निरीक्षण तथ्यात्मक एवं सार्थक हो सके।

(डा० अशोक सिंघवी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्रीगण।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव (समस्त)।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव/उप शासन सचिव।
6. समस्त विभाग/अनुभाग एवं प्रकोष्ठ शासन सचिवालय।
7. रक्षी पत्रावली।

(शासन उप सचिव)